



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 09 जुलाई 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 282

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने बरसाई गोलायां; दो जवान घायल

कटुआ (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कटुआ जिले में आतंकीयों ने भारतीय सेना के काफिले पर सोमवार को अचानक हमला कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद हमारे जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। यह घटना जिले के माचेड़ी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र इंडियन आर्मी की 9 कोर के तहत आता है। सेना के सत्रों ने कहा कि आतंकीयों की ओर से गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। अटैक होते ही सेना के जवानों ने तुरंत बाहर निकलकर मोर्चा संभाल लिया। वे आतंकीयों को जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही आतंकीयों को घेरने के लिए अतिरिक्त टुकड़ी मौके पर भेजी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता और सीआरपीएफ की आतंक रोधी टुकड़ी भी मौके पर पहुंच रही है।

खड़े कंटेनर से टकराई तेज रफ्तार कार, तीन की मौत

राजगढ़ (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो घायल हैं, जिनका इलाज पास के अस्पताल में किया जा रहा है। हादसा पंचोर के सेरडी के पास हुआ है। जहां खड़े कंटेनर से तेज रफ्तार कार इतनी बुरी तरह से टकराई कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं दो घायल हैं। जानकारी के अनुसार कार में पांच लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मृतक महाराष्ट्र के कोल्हापुर के निवासी हैं। इधर घायलों को आसपास मौजूद लोगों ने पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

ट्रेक पर ले रहे थे सेल्फी, ट्रेन की चपेट में आने से दो दोस्तों की मौत

ग्वालियर (आरएनएस)। शहर में रेलवे ट्रेक पर सेल्फी लेने दो जिगरी दोस्तों को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते समय दोनों ट्रेनों की चपेट में आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोनों ही ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रावदनी के रहने वाले थे। आसपास के लोगों ने उन्हें रेलवे ट्रेक पर सेल्फी लेने और रील बनाने देखा था लेकिन थोड़ी देर बबाद दोनों की डेड बॉडी रेलवे ट्रेक के किनारे पड़ी हुई मिली। इसके बाद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। दोनों की पहचान निखिल सोनी और सयेंद्र गुर्जर के रूप में हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा है और मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों मृतकों के घर वालों को घटना की जानकारी दी गई है लेकिन यह घटना बेहद दर्दनाक है, क्योंकि ग्वालियर शहर के युवाओं को रेलवे ट्रेक के किनारे सेल्फी लेने का शौक उनकी जान पर ही भारी पड़ रहा है। इससे पहले भी इस इलाके से पुलिस ने कई बार रेलवे ट्रेक पर सोशल मीडिया के लिए रेल और फोटोग्राफी करते हुए कार्रवाई की है लेकिन फिर भी ग्वालियर के युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। घटना के बाद युवकों के परिजन गमगीन हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। ग्वालियर की झांसी रोड थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

अमरनाथ यात्रा : नौ दिन में 1.82 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

जम्मू | आरएनएस कश्मीर में पिछले नौ दिनों में 1.82 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। सोमवार को 5,803 श्रद्धालुओं का एक और जल्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएसबी) के अधिकारियों ने बताया, आज 5,803 यात्रियों का एक और जल्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। 88 वाहनों का पहला सुरक्षा

काफिला 1862 यात्रियों को लेकर सुबह 3.10 बजे उत्तरी कश्मीर के बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ, जबकि 3941 यात्रियों का दूसरा जल्था 130 वाहनों के दूसरे काफिले में सुबह 4 बजे दक्षिण कश्मीर के नूनवान (पहलगांम) बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। मौसम विभाग ने दोनों यात्रा मार्गों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दिन में रुक-रुक कर हल्की बारिश की संभावना जताई है। श्रद्धालु या तो 48 किलोमीटर

लंबे पारंपरिक पहलगांम गुफा मंदिर मार्ग से यात्रा करते हैं या फिर 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग से यात्रा करते हैं। पहलगांम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने

में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का उपयोग करने वाले लोग गुफा मंदिर के अंदर 'दर्शन' करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं। दोनों मार्गों पर और पारगमन शिविरों ताथ गुफा मंदिर में 124 से अधिक लंगर (सामुदायिक रसोई) बनाए गए हैं। इस साल की यात्रा के दौरान 7 हजार से ज्यादा सेवादाय यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

मुंबई में छह घंटे में 300 मिमी बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद, सड़कों पर भरा पानी; ट्रेनों पर भी असर

मुंबई | आरएनएस महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को कल्याण-कसारा सेक्शन में खंडावली और टिटवाला के बीच लंबा ट्रेफिक जाम लग गया और लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि मुंबई में आज सुबह 1 बजे से 7 बजे तक यानि कुल छह घंटे में विभिन्न स्थानों पर 300 मिमी

से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया और ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात बाधित हुआ है। मध्य रेलवे ने बताया कि भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है, जिससे मुंबई उपनगरीय और हार्बर लाइनों पर रेल यातायात में देरी हो रही है। प्रभावित स्टेशनों

में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कुर्ला-विक्रोली और भांडुप शामिल हैं। छात्रों को अस्विधा से बचाने के लिए मुंबई के सभी बीएमसी, सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में पहले सत्र के लिए अवकाश घोषित किया गया है। स्थिति की समीक्षा के बाद अगले सत्र के लिए फैसले की घोषणा की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 8 जुलाई (सोमवार) को पूरे दिन मुंबई में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। रात में आंधी आने की उम्मीद है।

नीट-पेपर लीक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र व एनटीए से गलत लाभार्थियों के खिलाफ होगी कार्यवाही, अगली सुनवाई 11 जुलाई को

नई दिल्ली | आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को पांच मई को हुई परीक्षा में गलत लाभार्थियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर लीक के आरोपों से इनकार करना समस्या को और बढ़ाने वाला है।

परीक्षा को पूरी तरह से दोबारा आयोजित करने के संबंध में विचार करने के लिए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनटीए को पेपर लीक की प्रकृति, लीक होने वाले स्थानों और लीक होने पर परीक्षा आयोजित होने के बीच के समय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को पूरी जानकारी देने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और



न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) से जांच की स्थिति और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को जांच अधिकारी को तब पेश करना चाहिए,

जब लीक होने का आरोप लगाया गया था और जब लीक हुआ प्रश्न उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि संभव हो, तो धांधली के मामलों की पहचान करने के लिए टेक्नोलॉजी और कानून का उपयोग किया जाए, ताकि 23 लाख छात्रों को दोबारा

परीक्षा देने की आवश्यकता न पड़े। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

पिछले सप्ताह सर्वोच्च अदालत के समक्ष पेश प्रारंभिक हलफनामे में, केंद्र ने नीट-यूजी परीक्षा को रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करने से लाखों ईमानदार छात्रों को नुकसान होगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया है, अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही है। परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

पंचकूला में बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी ओवरलोड सिटी बस, 40 स्कूली बच्चे घायल; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड

पंचकूला | आरएनएस

पंचकूला में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे देखने को मिला। यहां पिंजौर के पास एक बस पलट गई। बस पलटने के बाद हुए हादसे में 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में वहां से किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ को बेहतर इलाज के लिए रेफर भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड की वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी।

दरअसल, यह हादसा पिंजौर के नौलटा गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण ओवर स्पीड में बस चलाने से हुआ है। इसके अलावा बस में ज्यादा सवारियां होना यानी



ओवरलोड और सड़क की खस्ता हालत भी हादसे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल हादसे के बाद घायलों को पिंजौर के अस्पताल और पंचकूला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में लाया गया। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है।

पंचकूला सीएमओ डॉ. मुक्ता कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला के सेक्टर 6 से नागरिक अस्पताल में 22 घायल बच्चों को लाया गया है। वहीं एक महिला के ऊपर बस पलट

सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, संदेशखाली हिंसा की सीबीआई जांच पर नहीं लगाई रोक

नई दिल्ली | आरएनएस

संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की कोर्ट की निगरानी में ही सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) जांच जारी रहेगी। दरअसल, ममता सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राशन घोटाले में 43 एफआईआर दर्ज की गई है। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी



दिलचस्पी क्यों है? किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज। राज्य सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ अनुचित टिप्पणियों के खिलाफ दायर की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, आपकों अगर ऐसा लगता है तो आप हाईकोर्ट में जाकर उन टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते हैं।

इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सवाल किया था कि संदेशखाली मामले में राज्य सरकार ने जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ हुए यौन शोषण के आरोपों की सीबीआई जांच वाले निर्देश को चुनौती क्यों दी? बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस बल समेत राज्य के तंत्र का मनोबल कमजोर हुआ है।

इससे पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक अलग पोटल और ईमेल बनाने का निर्देश दिया था, जिसके माध्यम से संदेशखाली में पीडित लोग अवैध तरीके से जमीन हड़पने और जबरन वसूली से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसी शिकायतकर्ताओं की पहचान उजागर नहीं करेगी।

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक सहित उत्तर 24 परगना

में जिला प्रशासन को संदेशखाली में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था। जिला प्रशासन को संदेशखाली में सड़कों को ठीक से रोशन करने का भी निर्देश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। संदेशखाली में अवैध रूप से जमीन हड़पने और जबरन वसूली की कई जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में हैं। आरोपियों में शोख शाहजहां और स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं।

सीबीआई संदेशखाली में पांच जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की भी जांच कर रही है। टीएमसी नेता शोख शाहजहां के घर राशन घोटाला मामले में छापेमारी करने पहुंचे ईडी अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। शाहजहां और उसके साथियों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप भी है। विवाद बढते पर टीएमसी ने शाहजहां को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

रोडवेज बस और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर, मची चीख-पुकार; एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

जयपुर | आरएनएस

जयपुर के शाहपुरा में सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत को हो गई। सभी



मृतक एक ही परिवार के थे। जानकारी के मुताबिक, शाहपुरा थाना इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अलवर पुलिया पर सोमवार तड़के 4 बजे रोडवेज बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए।

हादसे की सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी रामलाल मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से 11 लोगों को गंभीर हालत के चलते

जयपुर रेफर किया गया। रोडवेज बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी।

जब बस अलवर तिराहा पुलिया पर पहुंची तो ओवरटेक करते समय वह आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार यात्री घायल हो गए। हादसे में दिल्ली निवासी विजय अग्रवाल, उनकी पत्नी टीना अग्रवाल और 16 साल के बेटे प्रीतम की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

हेमंत सोरेन सरकार ने जीता विश्वास मत, 76 में से 45 मत मिले; विपक्ष ने किया बहिष्कार

रांची | आरएनएस

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सोमवार को विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में हंगामे के बीच विश्वास मत हासिल कर लिया। मौजूदा विधानसभा में मौजूद 76 सदस्यों में से 45 ने सरकार के पक्ष में मतदान किया। विधानसभा के मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुमत के लिए न्यूनतम 39 मतों की जरूरत थी।

भाजपा और आजसू के विधायकों ने वोटिंग के दौरान सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सदन का बहिष्कार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर वाद-विवाद के बाद अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट पर वोटिंग कराई गई।

हेमंत सोरेन ने विश्वास मत पर बहस



का जवाब देते हुए कहा कि मेरे सदन में फिर से सीएम के रूप में आने से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग जिस तरह का आचरण सदन में कर रहे हैं, उससे उनकी हताशा सामने आई है। चुनाव के बाद इनके आधे से ज्यादा विधायक दुबारा सदन में नहीं आएंगे।

प्रस्ताव पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने सीएम हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि यह दो महीने की सरकार घोटालों के साक्ष्य पिटाने के उद्देश्य से बनी है। नेता

प्रतिपक्ष ने इसे ठगबंधन सरकार करार देते हुए कहा कि इसने राज्य की जनता, युवाओं, किसानों, छात्रों, आदिवासियों, दलितों को धोखा दिया है।

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 2019 में हेमंत सोरेन को जमीन सरकार बनाने के पहले युवाओं को प्रतिवर्ष पांच लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कुछ हजार नौकरियां भी नहीं दे पाईं। यह चीथा मौका है, जब हेमंत सोरेन बतौर सीएम झारखंड विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण में सफल हुए हैं।

सबसे पहली बार 2013 में सीएम बनने के बाद वह फ्लोर टेस्ट में सफल हुए थे। दूसरी बार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की जीत के बाद सीएम बने थे और विधानसभा में विश्वास मत

जीता था। तीसरी बार उन्होंने पत्थर खदान लीज विवाद में सरकार को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किए जाने की आशंका को देखते हुए 5 सितंबर, 2022 को एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत साबित किया था।

ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

इसके बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके छठे दिन ही चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। अगले दिन यानि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली।

गूगल मैप से लोकेशन साझा करना जमानत की शर्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली | आरएनएस

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आरोपियों को जमानत देने के लिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के वास्ते गूगल पिन का स्थान संबंधित जांच अधिकारियों से साझा करने की शर्त नहीं रखी जा सकती। न्यायमूर्ति अभय एस् ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने नशाले पदार्थों की तस्करी के आरोपी नाइजीरिया के निवासी फ्रैंक विटस की दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा, जमानत की शर्त जमानत के मूल उद्देश्य को विफल नहीं कर सकती। ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जो पुलिस को जमानत आरोपी व्यक्तियों की आवाजाही पर

लगातार नजर रखने में सक्षम बनाए। याचिकाकर्ता विटस ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जमानत के लिए म्यांइल लोकेशन पुलिस से साझा करने की शर्त की व्यवस्था के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि इससे उसके निजात के अधिकार का उल्लंघन होता है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जमानत की शर्त के रूप में गूगल पिन स्थान साझा करने की शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निजात के अधिकार पर आघात करती है। शीर्ष अदालत ने पहले यह भी कहा था कि जब एक बार किसी अभियुक्त को अदालतों द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो उसके ठिकाने को जानना और उसका पता लगाना अनुचित हो सकता है।